

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक : एफ.वी.21(12)पनिआयो/संघ ज्ञापन/2020-21/ 9531

जयपुर, दिनांक: 24/08/2020


आदेश

इस विभाग के पूर्व के आदेशों के अतिक्रमण में समस्त विभागीय पशु चिकित्सा संस्थाओं (प्रथमश्रेणी पशु चिकित्सालय/पशु चिकित्सालय/औषधालय/उपकेन्द्र) के कार्यालय समय में संशोधन कर तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

सामान्य दिवस : प्रातः 9.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक
रविवार एवं राजपत्रित अवकाश : प्रातः 9.00 बजे से 11.00 बजे तक

जिला मुख्यालय पर स्थित बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का समय प्रातः 8.00 बजे से सांय 2.00 बजे तक एवं सांय 2.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक दो परियों में होगा। रात्रिकालीन/आपातकालीन/आकस्मिक परिस्थितियों में प्रभारी ब.प.चि./जिलाधिकारी द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(डॉ. विरेन्द्र सिंह)
शासन उप सचिव

क्रमांक : एफ.वी.21(12)पनिआयो/संघ ज्ञापन/2020-21/

जयपुर, दिनांक:

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री पशुपालन विभाग, राज.सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राज., जयपुर।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, राज., जयपुर।
4. निदेशक, गोपालन विभाग, राज., जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पशुधन विकास बोर्ड, राज., जयपुर।
6. समस्त सम्भागीय अतिरिक्त निदेशक/जिला संयुक्त निदेशक/उप निदेशक पशुपालन विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधिनस्थ सम्बन्धित संस्थाओं को उपरोक्तानुसार सूचित कर समय निर्धारण की सूचना पशु चिकित्सा संस्थाओं पर प्रदर्शित कराया जाना सुनिश्चित करावें।
7. समस्त उप निदेशक, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, राजस्थान।
8. अध्यक्ष, पशु चिकित्सक संघ, राजस्थान, जयपुर।
9. अध्यक्ष, राजस्थान पशुचिकित्सा कर्मचारी संघ, जयपुर।
10. अन्य सम्बन्धित।
11. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव